तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-11-17	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. पर बहस उभयपक्ष सुनी गई आदेश सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल होकर सम्मिलित मुलाहिजा रहे। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, जिला- बून्दी

प्रार्थना पत्र सं.- 62/प्रा पत्र/16 पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा R.A.S.
दायरा दिनांक - 25.10.16

उनवान

1. श्रीमती तीजू देवी आयु 70 वर्ष पत्नि श्री रामपाल जाति मीणा निवासी ग्राम खेड़लीकला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

— प्रार्थीया

बनाम

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग जर्ये अधीक्षण अभियन्ता लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लाखेरी जिला बून्दी
3. रामप्रकाश उर्फ बबलू पुत्र श्री बन्नालाल जाति जाट नि० रामदेव शर्मा का मकान, बड़ चौराहा इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार सा. इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

1. श्री

2. श्री बालकिशन रायका

निर्णय दिनांक 17.11.17

वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः....

जिसके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता स. नयी 43 पुरानी 41 की रव.सं. 206 रकबा 0.50 है. किस्म बारानी प्रथम, रव.स. 206/213 रकबा 2.65 है किस्म बारानी प्रथम, रव.सं. 206/219 रकबा 0.50 है. किस्म बारानी प्रथम कुल किता 3 कुल रकबा 3.65 है वाके ग्राम सुनारी तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। सुरक्षा के लिये प्रार्थिया ने अपनी कृषि भूमि के चारो ओर सीमेन्ट के पिल्लर लगाकर लोहे के तारो से बाउण्ड्री करवा रखी है। प्रार्थिया की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में सुभेरगंजमण्डी कमलेश्वर आम रास्ता सड़क स्थित है। अप्रार्थीगण 1 लगा 3 अवैधानिक तरीके से प्रार्थना पत्र की वर्णित आराजी पर से रास्ता निकाल कर अतिक्रमण करना चाहते है। आये दिन अपने साथ मजदूरो व जेसीबी मशीन को लेकर प्रार्थिया की कृषि भूमि पर आते है व प्रार्थिया को धमकी देते है रोड़ साईड से तुम्हारे पिल्लर व जालिया हटाओ हम यहां रोड़ बनाएंगे। प्रार्थिया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है।

दिनांक 14.10.16 को अप्रार्थी 1 लगा 3 के कर्मचारी मजदूरो व जेसीबी को लेकर उक्त आराजी पर रास्ते का निर्माण कार्य करने पर आमदा हुये जिन्हे प्रार्थिया व प्रार्थियो के परिजनों ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर कार्य करने से रोका। प्रार्थिया 70 वर्ष की वृद्ध महिला है व विवाद ग्रस्त कृषि भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार है। P.W.D अथवा राज्य सरकार द्वारा कभी भी भूमि अवाप्ति हेतु कोई नोटिस नही किया गया है न ही प्रार्थिया को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अप्रार्थीगण प्रार्थिया की खातेदारी की कृषि भूमि को नष्ट करने पर आमदा है जो प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमश...

प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि वो अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये। प्रार्थिया वाद ग्रस्त कृषि भूमि की एकमात्र रिकॉर्ड खातेदार स्वामी है प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति की पूर्ण संभावना है जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2009(2) Page-1406 पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि की प्रार्थिया रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी को भाराजी से रास्ता बनाना चाह रहे है प्रार्थी के अधिकारो पर विपरीत प्रभाव - प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निर्णीत न्यायिकदृष्टांत RRT 2011 (1) Page-329 पेश कर कथन किया कि राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय मे राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय बहाल रखा तथा निगरानी खारिज की। न्यायिक दृष्टांत RRT 2011(2) पेज 802 में भी रिकॉर्ड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा मंजूर की है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण 1 लगा 3 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी 1 लगा 2 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सन्दर्भित भूमि के दक्षिण में आदि-अनादिकाल से सुमेरगंजमण्डी से कमलेश्वर जाने का सार्वजनिक निर्माण विभाग का रोड बना हुआ है। पूर्व रोड को ही तोड़ कर नया बनाया जा रहा है प्रार्थिया की खाते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थिया को आम सड़क से कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। प्रार्थिया की खातेदारी की भूमि पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग अपनी सड़क सीमा में ही काम कर रही है। प्रार्थिया की कोई भूमि सड़क सीमा में निकलती है तो तहसील कार्यालय से सीमाज्ञान करवाये। प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है कोई अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है, बल्कि राज्य सरकार कि योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण को रुकवा दिया गया तो अप्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने 2015(1) DNJ (Raj) पेज 175 पेश कर उद्धरण लिया कि प्रार्थिया ने न्यायालय में स्वच्छ

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः....

अप्रार्थीगणों से अभिगमन नहीं किया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। 2015 (2) DNJ (Raj) Page 780 पेश कर कथन किया कि किसी भी पक्ष को क्षति नहीं पहुँची अतः अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। साथ ही जवाब सरकार में भी यह कथन किया गया है कि IRC के नियमानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता / सड़क बनाने का कार्य में नाप से आने वाली भूमि पर निर्माण कार्य हेतु किसी खातेदार की इजाजत लेना आवश्यक नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सड़क का निर्माण किया जा रहा है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। न्यायालय का विचार इस प्रकार है कि धारा 212 भार-सीधकर के अधीन मांग करने वाले प्रार्थी को अपनी सम्पति को किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान / हानि पहुंचाने अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा / भय है को साबित करना होगा। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन भी किया कि अभी हमारी खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी ने कोई कब्जा नहीं किया है। पत्रावली के संलग्न प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में तीजू देवी पत्नी रामपाल जाति मीणा निवासी ग्राम खेडली कलां पोस्ट धमोनखुर्द तहसील व जिला सवाई-माधोपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर संलग्न नक्शा ट्रेस में खसरा सं. 208 में रास्ता है। प्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि अप्रार्थीगण द्वारा किस प्रकार से अतिक्रमण करने का खतरा है क्योंकि प्रार्थना पत्र दायरी के बाद आज दिनांक कोई अतिक्रमण अप्रार्थीगण द्वारा नहीं करने का कथन विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने किया है। इस प्रकार हमारे विचार से प्रार्थी यह साबित करने में असफल रही है कि किस

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः....

प्रकार से अप्रार्थीगण से उसकी कृषि भूमि को हानि / दुर्व्यवन / नुकसान का खतरा या भय है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध ~~ही~~ होता है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं समझते हैं।

प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट खारीज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.11.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)